दामोदर घाटी निगम

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

अगस्त 5, 1976

[एच. आर. खन्ना, एन. एल. ऊंटवालिया और जसवंत सिंह, न्यायमूर्तिगण]

भारत का संविधान, 1950–अनुच्छेद 288 (2) –का दायरा।

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (यथा संशोधित) धारा 3 (2) (ई) – का दायरा।

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा 3(1) के प्रावधान (v) में यह उपबंध किया गया था कि किसी खदान या औद्योगिक उपक्रम में उपभोग की गई, या उसके संबंध में उपभोग की गई, अथवा उपभोग हेतु बेची गई विद्युत ऊर्जा की इकाइयों पर कोई शुल्क देय नहीं होगा, सिवाय उस सीमा के, जो द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट हो। वर्ष 1963 में अधिनियम की धारा 3 में संशोधन किया गया और पुरानी धारा 3 के स्थान पर नई धारा 3 प्रतिस्थापित की गई। नई धारा की उपधारा (2)(ई) में यह प्रावधान किया गया कि दामोदर घाटी निगम द्वारा विद्युत के उत्पादन, पारेषण अथवा वितरण के लिए उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा की इकाइयों पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। 1963 में संशोधित प्रथम अनुसूची के मद 'ए' में यह उपबंध किया गया कि किसी खदान या औद्योगिक उपक्रम के लिए देय विद्युत शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, किंतु उसकी दर या दरें प्रति इकाई ऊर्जा अधिकतम 2 नया पैसा से अधिक नहीं होंगी, और ऐसा निर्धारण राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से किया जाएगा। उक्त संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।

अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार विद्युत शुल्क के भुगतान के लिए वाणिज्य कर अधीक्षक द्वारा जारी सूचनाओं के प्रत्युत्तर में, अपीलकर्त्ता ने यह दलील दी कि उसे संविधान के अनुच्छेद 288 के खंड (1) के अंतर्गत कर के भुगतान से छूट (प्रतिरक्षा)

प्राप्त है, क्योंकि अनुच्छेद 288 के खंड (2) की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला कोई भी ऐसा कानून बनाया ही नहीं गया है, जो इस प्रकार के शुल्क के अधिरोपण को वैध ठहराता हो।

उच्च न्यायालय ने अपीलकर्त्ता की रिट याचिका को खारिज कर दिया।

इस न्यायालय में अपील को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित : (1) अनुच्छेद 288 के खंड (2) के अनुसार आवश्यक यह है कि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया वह कानून, जो खंड (1) में उल्लिखित कर को लगाने या उसके अधिरोपण को अधिकृत करता है, तभी प्रभावी होगा जब (i) वह कानून राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित किए जाने के बाद उनकी स्वीकृति प्राप्त करे, और (ii) यदि ऐसा कानून कर की दरें या अन्य पहलू किसी प्राधिकरण द्वारा कानून के अधीन बनाए जाने वाले नियमों या आदेशों के माध्यम से निर्धारित करने का प्रावधान करता है, तो उस कानून में यह उपबंध होना चाहिए कि ऐसे किसी भी नियम या आदेश के बनाए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। किन्तु, इस खंड का यह अर्थ नहीं है कि यदि ये दोनों शर्तें पूरी कर दी गई हों, तो कर के भुगतान की विधि और प्रक्रिया से संबंधित उपबंधों को भी अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए, और यह भी नहीं कि ऐसी स्वीकृति के अभाव में, कर के अधिरोपण से संबंधित वे उपबंध, जिन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, अप्रवर्तनीय हो जाएंगे। [123 एच; 124 ए-बी]

(2) अपीलकर्त्ता का यह तर्क कि संशोधन अधिनियम में उसके ऊपर विद्युत शुल्क लगाए जाने के संबंध में कोई परिकल्पना या संकेत नहीं है, स्पष्ट रूप से अस्थिर है, क्योंकि ऐसा मान लेने से धारा 3(2)(ई) पूर्णतः निरर्थक हो जाएगी। प्रधान अधिनियम की धारा 3(1) के प्रावधान (v) के अंतर्गत खानों और औद्योगिक उपक्रमों को शुल्क से छूट प्राप्त थी। यह छूट संशोधन अधिनियम द्वारा पुरानी धारा के स्थान पर नई धारा 3 के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप समाप्त हो गई। नई आरोपण धारा 3(1) के अंतर्गत सभी औद्योगिक उपक्रमों,

जिनमें दामोदर घाटी निगम भी सम्मिलित है, को विद्युत शुल्क के अधिरोपण के लिए सम्मिलित किया गया। 1963 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई धारा 3(2)(इ) में स्पष्ट रूप से यह छूट प्रदान की गई कि अपीलकर्त्ता द्वारा विद्युत के उत्पादन, पारेषण अथवा वितरण के लिए उपभोग की गई ऊर्जा की इकाइयों पर कोई विद्युत शुल्क देय नहीं होगा। यह प्रावधान, जिसमें अपीलकर्त्ता निगम का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, इस निष्कर्ष को स्पष्ट रूप से समर्थित करता है कि धारा 3(2)(इ) के अंतर्गत न आने वाली ऊर्जा इकाइयों के संबंध में अपीलकर्त्ता को कोई छूट नहीं मिलेगी। [123 ए-बी]

(3) यह तर्क कि जब तक प्रधान अधिनियम की धारा 4 को भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ पुनः अधिनियमित नहीं किया गया, तब तक अपीलकर्त्ता पर शुल्क के भुगतान का दायित्व नहीं डाला जा सकता किसी भी प्रकार से सारहीन है। संशोधन अधिनियम की धारा 3, जो शुल्क के अधिरोपण से संबंधित है, यह स्पष्ट करती है कि ऐसा शुल्क उपभोग की गई या बेची गई ऊर्जा की इकाइयों पर, तथा अनुसूची में निर्दिष्ट दर या दरों पर देय होगा। चूँकि शुल्क का अधिरोपण ऊर्जा की उपभोग की गई या बेची गई इकाइयों पर किया जाना है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से निष्कर्ष निकलता है कि शुल्क का भुगतान उपभोक्ता या विक्रेता, जैसा कि मामला हो, द्वारा किया जाना होगा। प्रधान अधिनियम की धारा 4 केवल शुल्क के भुगतान की विधि और प्रक्रिया का प्रावधान करती है। [123 एफ-जी]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1970 की दीवानी अपील सं. 104।

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 299/66 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 23-10-1967 के निर्णय और आदेश से।)

अपीलकर्त्ता की ओर से *एल. एम. सिंघवी, यू. पी. सिंह और एस. एन. झा*।

उत्तरदाता की ओर से *सरजू प्रसाद और यू. एस. प्रसाद*।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

खन्ना, न्यायमूर्ति। दामोदर घाटी निगम द्वारा पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले के

विरुद्ध दायर इस अपील में, जिसमें अपीलकर्त्ता की रिट याचिका खारिज कर दी गई थी, यह संक्षिप्त प्रश्न उठता है कि क्या अपीलकर्त्ता बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (जैसा कि बिहार विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1963 द्वारा संशोधित किया गया है) के तहत विद्युत शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। उच्च न्यायालय ने उक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप में अपीलकर्त्ता के विरुद्ध दिया।

अपीलकर्त्ता बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में दामोदर घाटी के विकास के लिए दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित एक निगम है। अपीलकर्त्ता के कार्यों में से एक पनबिजली और तापीय विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, संचरण और वितरण के लिए योजनाओं का प्रचार और संचालन है। बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम 36) (जिसे इसके बाद प्रमुख अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) 1 अक्टूबर, 1948 को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। यह बिहार प्रांत में विद्युत ऊर्जा की बिक्री और खपत पर शुल्क लगाने का अधिनियम था। धारा 3 और 4 का भौतिक भाग, जैसा कि वे 1963 में किए गए संशोधन से पहले थे, निम्नानुसार पढ़ा गयाः

"3. *शुल्क का निर्धारण*।-(1) ऊर्जा की उपभोगित या बेची गई इकाइयों पर, पारेषण और रूपांतरण में ऊर्जा की हानियों को छोड़कर, प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट दरों पर शुल्क लगाया जाएगा और राज्य सरकार को भुगतान किया जाएगा :

बशर्ते कि ऊर्जा की इकाइयों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा :-

(i) .. ..

(ii) .. ..

(iii) .. ..

(iv) .. ..

(v) किसी में उपभोग किया गया, या उसके संबंध में, या उपभोग के लिए बेचा गया -

(ए) खान', जैसा कि भारतीय खान अधिनियम, 1923 में परिभाषित है:

(बी) औद्योगिक उपक्रम;

दूसरी योजना में निर्दिष्ट सीमा को छोड़कर :

(vi) .. ..

(2) .. ..

4. *शुल्क का भुगतान*।— (1) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी राज्य सरकार को प्रत्येक माह निर्धारित समय और तरीके से धारा 3 के तहत देय उचित शुल्क का भुगतान करेगा, जो उसके द्वारा उपभोग की गई या उपभोक्ता को बेची गई ऊर्जा की इकाइयों पर लागू होगा।

(2) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी उस राशि से वसूली कर सकता है जो उपभोक्ता को बेची गई ऊर्जा के संबंध में शुल्क के रूप में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतान की जाती है।

(3) .. ..

(4) .. ..

(4ए) .. ..

(5) .. ..

मूल अधिनियम में बिहार विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1963 (1963 का बिहार अधिनियम 20) द्वारा संशोधन किया गया था (जिसे आगे 'संशोधन अधिनियम' कहा जाएगा)। संशोधन अधिनियम को 4 दिसंबर, 1963 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और 17 दिसंबर, 1963 को प्रकाशित किया गया। संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा, पुरानी धारा 3 के लिए नई धारा 3 को प्रतिस्थापित किया गया था। नई धारा 3 का महत्वपूर्ण भाग निम्नानुसार है :

"3. *शुल्क का निर्धारण*।-(1) उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार को उपभोग या विक्रय की गई ऊर्जा की इकाइयों पर, पारेषण और

रूपांतरण में ऊर्जा की हानियों को छोड़कर, अनुसूची में निर्दिष्ट दर या दरों पर शुल्क लगाया जाएगा और भुगतान किया जाएगा।

(2) ऊर्जा की इकाइयों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा -

(ए) .. ..

(बी) .. ..

(सी) .. ..

(डी) .. ..

(इ) दामोदर घाटी निगम द्वारा उस निगम द्वारा विद्युत उत्पादन, संचरण या वितरण के लिए उपभोग किया जाता है;

(एफ) .. ..

(3) .. ..

मूल अधिनियम की पहली अनुसूची में भी संशोधन किया गया था। अनुसूची का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है :

" **अनुसूची**

(धारा 3 देखें।)

शुल्क की दरें

ए. किसी खान या औद्योगिक उपक्रम के लिए, सिवाय उसके उन परिसरों के जो आवासीय या कार्यालय प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाते हैं।	ऐसी दर या दरें जो ऊर्जा की प्रति इकाई *2 नया पैसे* से अधिक न हों, जिन्हें समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, इस संबंध में आदेश द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।"

रिट याचिका में अपीलकर्त्ता ने वाणिज्यिक कर गिरिडीह के अधीक्षक द्वारा 10 फरवरी, 1965 को जारी किए गए तीन सूचनाओं और 24 और 29 मार्च, 1966 के अपने आदेशों को

रद्द करने का अनुरोध किया। आक्षेपित सूचनाओं द्वारा वाणिज्यिक कर अधीक्षक ने अपीलकर्त्ता को कारण दिखाने के लिए बुलाया कि अपीलकर्त्ता के खिलाफ उस अधिनियम के तहत खुद को पंजीकृत करने में विफल रहने के लिए मूल अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। अपीलकर्त्ता को पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए भी कहा गया था। आक्षेपित आदेशों के माध्यम से वाणिज्यिक कर अधीक्षक ने अपीलकर्त्ता को संशोधित अधिनियम के तहत बिजली शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया। अपीलकर्त्ता का मामला यह था कि उसे संविधान के अनुच्छेद 288 के खंड (1) के तहत कर के भुगतान से छूट प्राप्त थी। यह तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद 288 के खंड (2) की आवश्यकता को पूरा करने वाली किसी भी कानून को इस तरह के शुल्क के उद्ग्रहण की गारंटी देने वाला नहीं बनाया गया था। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया, और हमें एक अलग दृष्टिकोण लेने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिला।

संविधान का अनुच्छेद 288 इस प्रकार है :

"288 (1) जब तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा प्रावधान न करें, तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले प्रवर्तन में रही किसी भी राज्य की कोई विधि ऐसी किसी जल या विद्युत के संबंध में, जो किसी ऐसे प्राधिकरण द्वारा संग्रहित, उत्पादित, उपभोगित, वितरित या विक्रय की जाती हो, जो संसद द्वारा बनाए गए किसी विद्यमान कानून के अंतर्गत किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी-घाटी के विनियमन अथवा विकास के लिए स्थापित की गई हो, किसी कर को न तो अधिरोपित करेगी और न ही उसके अधिरोपण को अधिकृत करेगी।

स्पष्टीकरण। - इस खंड में 'राज्य का लागू कानून' अभिव्यक्ति में राज्य का ऐसा कानून भी शामिल होगा जो इस संविधान के प्रारंभ होने से पहले पारित या बनाया गया हो और जिसे पहले निरस्त न किया गया हो, भले ही वह या उसके कुछ भाग उस समय या तो पूरी तरह से या किसी विशेष क्षेत्र में लागू न हों।

(2) किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अधिरोपित कर सकता है, या खंड (1) में उल्लिखित किसी भी कर के अधिरोपण को प्राधिकृत करता है, लेकिन ऐसी किसी भी कानून का कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक कि विचार के लिए आरक्षित होने के बाद राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्राप्त की; और यदि कोई ऐसा कानून किसी भी प्राधिकारी द्वारा कानून के तहत बनाए जाने वाले नियमों या आदेशों के माध्यम से ऐसे कर की दरों और अन्य संबंधितताओं के निर्धारण का प्रावधान करता है, तो कानून में यह प्रावधान होगा कि ऐसे किसी भी नियम या आदेश को बनाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति प्राप्त की जाए।"

अनुच्छेद 288 कुछ मामलों को छोड़कर, किसी भी अंतर-राज्यीय नदी या नदी-घाटी को विनियमित करने या विकसित करने के लिए किसी भी मौजूदा कानून या संसद द्वारा बनाई गई किसी भी कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्राधिकरण द्वारा संग्रहीत, उत्पन्न, उपभोग, वितरित या बेचे गए किसी भी पानी या विद्युत के संबंध में राज्य के किसी भी कानून के तहत कर से छूट प्रदान करता है। यद्यपि प्रधान अधिनियम एक संविधान-पूर्व कानून है, क्योंकि वह 1948 का अधिनियम है, तथापि यह निर्विवाद है कि राष्ट्रपति द्वारा कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया, जिसके द्वारा प्रधान अधिनियम के अंतर्गत अपीलकर्त्ता को प्राप्त कर-मुक्ति को वापस लिया गया हो। वास्तव में, ऐसे किसी आदेश के जारी किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्रधान अधिनियम में अपीलकर्त्ता जैसे किसी निगम पर विद्युत शुल्क लगाने का कोई प्रावधान ही नहीं था। प्रधान अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रावधान (v) में स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि भारतीय खान अधिनियम में परिभाषित किसी खदान या किसी औद्योगिक उपक्रम में उपभोग की गई, या उसके संबंध में उपभोग की गई, अथवा उपभोग हेतु बेची गई ऊर्जा की इकाइयों पर कोई शुल्क देय नहीं होगा, सिवाय उस सीमा के जो द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट हो। अपीलकर्त्ता निर्विवाद रूप से एक औद्योगिक उपक्रम है और इस कारण से प्रधान अधिनियम के अंतर्गत उस पर कोई विद्युत शुल्क देय

नहीं था।

उत्तरदाताओं का मामला यह है कि उक्त शुल्क के उद्ग्रहण पर लगी रोक को हटा दिया गया था और अपीलकर्त्ता पर शुल्क के उद्ग्रहण को 1963 के संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप एक ठोस कानूनी आधार पर रखा गया था। हम पाते हैं कि संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 288 के खंड (2) की आवश्यकताओं को पूरा करता है। उस खंड के अनुसार, किसी राज्य का विधानमंडल उस अनुच्छेद के खंड (1) में उल्लिखित किसी भी कर को कानून द्वारा अधिरोपित या अधिरोपित करने के लिए अधिकृत कर सकता है, लेकिन ऐसी कोई भी कानून तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जाने के बाद उसकी सहमति प्राप्त नहीं हो गई हो और यदि ऐसी कोई कानून किसी भी प्राधिकरण द्वारा कानून के तहत बनाए जाने वाले नियमों या आदेशों के माध्यम से ऐसे कर की दरों और अन्य घटनाओं को निर्धारित करने का प्रावधान करती है, तो कानून इस बात का प्रावधान करेगा कि ऐसा कोई नियम या आदेश बनाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति प्राप्त की जाए। 1963 के संशोधित अधिनियम को, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, इसके प्रकाशन से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। खानों और औद्योगिक क्षेत्र से कम आय वालों को मूल अधिनियम के तहत बिजली शुल्क के भुगतान से जो छूट दी गई थी, उसे संशोधन अधिनियम के तहत वापस ले लिया गया था, सिवाय कुछ हद तक जिसके साथ हम संबंधित नहीं हैं। संशोधित अधिनियम द्वारा पुरानी अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची में खानों और औद्योगिक उपक्रमों के लिए शुल्क की दरें निर्धारित की गईं और यह प्रावधान किया गया कि शुल्क की दर ऐसी दर या दरें होंगी जो 2 *नये पैसे* प्रति इकाई से अधिक न हों, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से इस संबंध में आदेश द्वारा तय की जा सकती हैं।

अपीलकर्त्ता की ओर से डॉ. सिंहवी ने यह तर्क दिया है कि अनुच्छेद 288 की योजना किसी भी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी को विनियमित करने या विकसित करने के लिए

संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या किसी मौजूदा कानून द्वारा स्थापित किसी भी उपयोगिता द्वारा संग्रहित, उत्पादित, उपभोग किए गए, वितरित या बेचे गए किसी भी जल या बिजली के संबंध में कर लगाने से सामान्य छूट प्रदान करने के लिए है। यदि राज्य विधान द्वारा बनाई गई कोई विधि, प्रस्तुतिकरण के अनुसार, ऐसे किसी कर को अधिरोपित करने की मांग करती है, तो ऐसे कानून में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने से पहले उस आशय का स्पष्ट संकेत होना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, 1963 के संशोधन अधिनियम में ऐसा कोई संकेत नहीं था। यह विवाद, हमारी राय में, पूरी तरह से बल से रहित है। मूल अधिनियम की धारा 3(1) के प्रावधान (v) के तहत, खानों और औद्योगिक बी उपक्रमों को शुल्क लगाने से छूट दी गई थी। यह छूट संशोधन अधिनियम द्वारा पुरानी धारा के लिए नई धारा 3 के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप वापस ले ली गई थी। नई चार्जिंग धारा 3(1) ने दमोदर घाटी निगम सहित सभी औद्योगिक उपक्रमों को शुल्क लगाने के उद्देश्य से शामिल किया। 1963 के संशोधन अधिनियम द्वारा शुरू की गई नई धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ई) ने अपीलकर्त्ता निगम द्वारा उस निगम द्वारा बिजली के उत्पादन, संचरण या वितरण के लिए खपत की जाने वाली सी ऊर्जा की इकाइयों पर बिजली शुल्क लगाने से स्पष्ट रूप से छूट प्रदान की।यह प्रावधान, जिसमें अपीलकर्त्ता निगम का स्पष्ट संदर्भ है, स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष की गारंटी देता है कि धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा कवर नहीं की गई ऊर्जा की इकाइयों के संबंध में छूट अपीलकर्त्ता को उपलब्ध नहीं होगी। अपीलकर्त्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि संशोधन अधिनियम डी पर विचार नहीं करता है या इसमें अपीलकर्त्ता पर बिजली शुल्क लगाने के संबंध में संकेत नहीं है, स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है, क्योंकि इसका प्रभाव धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ई) को पूरी तरह से निरर्थक बनाने का होगा। न्यायालयों को, यह अच्छी तरह से तय किया गया है, एक ऐसे तर्क को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए जो एक क़ानून के प्रावधान को अनावश्यक बनाने का प्रभाव डालता है।

अंत में, यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि 1963 के संशोधन अधिनियम के तहत एक नई धारा द्वारा इसके प्रतिस्थापन द्वारा मूल अधिनियम की धारा 3 का संशोधन किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति से धारा 4 का कोई संशोधन नहीं किया गया है। इस प्रकार, बिजली शुल्क का भुगतान करने का कोई दायित्व अपीलकर्त्ता पर नहीं लगाया जा सकता है। यह समर्पण भी बलहीन है। धारा 3, जैसा कि 1963 के संशोधन अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित किया गया है, आरोप अनुभाग है। उस धारा के खंड (1) के अनुसार, उपधारा (2) के प्रावधान के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार को उपभोग या बेची गई ऊर्जा की इकाइयों पर, पारेषण और रूपांतरण में ऊर्जा की हानि को छोड़कर, अनुसूची में निर्दिष्ट दर या दरों पर शुल्क लगाया जाएगा और भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार यह धारा शुल्क की घटना से संबंधित है और यह स्पष्ट करती है कि इस तरह के शुल्क का भुगतान खपत या बेची गई ऊर्जा की इकाइयों पर और अनुसूची में निर्दिष्ट दर या दरों पर किया जाना है। इस धारा द्वारा आगे यह स्पष्ट किया गया है कि शुल्क लगाया जाना है और राज्य सरकार को भुगतान किया जाना है। चूँकि खपत या बेची गई ऊर्जा की इकाइयों पर शुल्क लगाया जाना है, इसलिए उपभोक्ता या विक्रेता को शुल्क का भुगतान करना होगा, जैसा भी मामला हो। मूल अधिनियम की धारा 4 में केवल शुल्क के भुगतान के तरीके और तरीके का प्रावधान है, और हम इस तर्क में कोई सार नहीं पाते हैं कि जब तक मूल अधिनियम की धारा 4 को राष्ट्रपति की सहमति से फिर से अधिनियमित नहीं किया जाता है, तब तक शुल्क के भुगतान का दायित्व अपीलकर्त्ता पर नहीं लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद 288 के खंड (2) द्वारा जो अपेक्षित है वह यह है कि खंड (1) में उल्लिखित कर अधिरोपित करने या प्राधिकृत करने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि तभी प्रभावी होगी जब राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जाने के बाद उसे उसकी सहमति प्राप्त हो। उस खंड की एक अन्य आवश्यकता यह है कि यदि ऐसी कानून किसी भी प्राधिकरण द्वारा कानून के तहत किए जाने वाले नियमों या आदेशों के माध्यम से ऐसे कर

की दरों और अन्य घटनाओं को निर्धारित करने का प्रावधान करती है, तो कानून ऐसा कोई नियम या आदेश बनाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति प्राप्त करने का प्रावधान करेगा। यह, कभी भी, उस खंड का प्रभाव नहीं है कि यदि उपर्युक्त दो अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं, तो भी वे प्रावधान जो केवल उपरोक्त कर के भुगतान के विधि और प्रक्रिया से संबंधित हैं, उन्हें भी राष्ट्रपति की सहमति मिलनी चाहिए और ऐसी सहमति के अभाव में, कर की घटना से संबंधित प्रावधान, जिन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, अप्रवर्तनीय बने रहेंगे।

उच्च न्यायालय द्वारा कुछ अन्य पहलुओं पर भी विचार किया गया था, लेकिन इस मामले में हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसके आलोक में उन पहलुओं से निपटना आवश्यक नहीं है।

परिणामस्वरूप, अपील विफल होकर खारिज की जाती है, तथापि परिस्थितियों के आलोक में व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

याचिका खारिज कर दी गई।

पी.बी.आर.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।